

आज दिनांक 26.10.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में श्री पंकज दीक्षित (भा0प्र0से0), जिलाधिकारी, रोहतास की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही:- आज की बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी-सह- सदस्य सचिव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति ने जिले में घटित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज काण्डों की विवरणी परिशिष्ट "क" के माध्यम से समिति के सदस्यों को अवगत कराया।

तत्पश्चात सर्वप्रथम जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति द्वारा दिनांक 27.09.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के अनुपालन के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी से जानकारी ली गई।

तत्पश्चात जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित अनुपालन कण्डिकावार प्रस्तुत किया गया:-

अनुपालन की कण्डिका	अनुपालन
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को इस कार्यालय के पत्रांक 1644 दिनांक-13.09.2018 द्वारा संबंधित वादों के फैसले की सत्यापित प्रति की मांग की गई है।	अप्राप्त

उपरोक्त अनुपालन की समीक्षा के क्रम में समिति द्वारा विशेष लोक अभियोजक से अब तक निष्पादित काण्डों के संबंध में अद्यतन रिपोर्ट के संबंध में पृच्छा की गई।

इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा समिति को बताया गया कि नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक रिपोर्ट माननीय न्यायालय से प्राप्त हो जायेगा। तत्आलोक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष लोक अभियोजक के कार्य प्रणाली पर असंतोष प्रकट किया।

उपरोक्त अनुपालन के समीक्षोपरान्त समिति के सदस्यों द्वारा परिशिष्ट "क" पर अंकित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त काण्डों की क्रमवार समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थापित कुल काण्डों की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कुल काण्ड	स्वीकृत काण्ड	स्वीकृत काण्डों पर व्यय राशि	अस्वीकृत	अभ्युक्ति
1	02	02	100000	शून्य	

समिति के सदस्यों ने जिला कल्याण पदाधिकारी को स्वीकृत राशि का उपलब्ध राशि से तत्काल भुगतान करते हुए आवश्यक राशि का आवंटन सरकार से मांग करने का निदेश दिया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

80
जिलाधिकारी
रोहतास, सासाराम।


ज्ञापांक 1761 / क०, दिनांक 26.10.2018

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सदस्यों को अनुलग्नक की प्रति के साथ सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/10/18
जिलाधिकारी
रोहतास, सासाराम।

ज्ञापांक 1761 / क0, दिनांक 26.10.2018

- प्रतिलिपि:- DIO, NIC रोहतास (सासाराम) को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिविल कोर्ट, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, रोहतास (डिहरी) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


26/10/18
जिलाधिकारी
रोहतास, सासाराम।

(दिनांक 26.10.2018) अनु0जाति एवं अनु0जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त बादों की स्वीकृति हेतु-

क्र० सं०	प्रखण्ड	पीडित/पीडिता का नाम एवं स्थायी पता	थाना काण्ड सं०	अत्याचार का प्रकार	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत चुसंगत धारा	प्रावधान के अनुसार स्वीकृति हेतु वांछित कागजात				वर्तमान में नियमानुसार देय राशि	अभ्युक्ति	
						(क) FIR	(ख) अंतिम प्रतिवेदन	(ग) पोस्टमार्टम रिपोर्ट	(घ) न्यायालय से दोष सिद्ध			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	डिहरी	मुन्ना कुमार, पिता-दीनानाथ पासवान, ग्राम-बारह पत्थर डिहरी, रोहतास	SC/ST डिहरी थाना काण्ड सं०-20 / 18 दिनांक-21.02.2018	गाली गलौज, एवं मार-पिट	341/323/379/504/50 6/34 भा०द०वि० एवं 3(1)(r)(s) sc/st Act.	प्राप्त है।	प्राप्त है	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं	100000	75000	
2	नोखा	शशिमूषण राम, पिता-मुखराम राम, ग्राम-हसनाडिह, थाना-नोखा, जिला-रोहतास	नोखा थाना कांड सं०-145 / 18 दिनांक-31.05.2018	गाली गलौज, एवं मार-पिट	147/148/149/341/32 3/153A/295A/307 भा०द०वि० एवं 3(i)(r)(s) sc/st Act.	प्राप्त है।	अप्राप्त है	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं	100000	25000	
Total										100000		

[Signature]
26/10/18

जिलाधिकारी

रोहतास (सासाराम)